मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66 | जुलाई, 2021 | अंक 07 | कुल पृष्ठ 8

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों और फैसलों में अमीर देशों का दबदबा

अजय वीर जाखड़

डब्ल्यूटीओ के नियमों के कारण छोटे किसानों को उनके देश में सस्ते खाद्य आयात के कारण होने वाले दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं । इन नियमों का प्रारूप ही इस प्रकार है कि खाद्य पदार्थ आयात करने वाले देशो में किसान के उत्पादों की कीमत कम होती जाती है। मौजूदा प्रणाली की नींव समझे जाने वाले डब्ल्यूटीओ के नियमों का स्वरूप पहले से ही तैयार था और अमीर देशों द्वारा इसमें बाद में शामिल होने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर देशों पर थोपा गया है

बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देते हैं। इसके कारण तेजी से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है।

डब्ल्यूटीओ के खाद्य और कृषि व्यापार समझौते की मंजूरी के 25 साल बाद भी दुनिया का प्रत्येक नौवां व्यक्ति भूखा सोता है जबकि उत्पादित भोजन का एक तिहाई भाग बर्बाद हो जाता है। हमने नये आविष्कारों और तकनीक के क्षेत्र में अपार उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सब इसलिए हासिल किया गया ताकि हर इंसान को पोषण युक्त भोजन का उसका अधिकार सुनिश्चित किया जा सके और कोई भी बच्चा भूखे पेट नहीं सोए इसे किसी चमत्कारी काम की तरह नहीं देखना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी दुनिया में अधिकतर भुखमरी और गरीबी के शिकार वह लोग हैं जो स्वयं पूरी दुनिया के लिए भोजन पैदा करते हैं। दुनिया में अधिकतर मोटापे के शिकार लोग और कोई नही बल्कि उपभोक्ता हैं । क्या आप इससे सहमत हैं कि डब्ल्यूटीओ के मौजूदा नियमों औ- छोटे किसानों की तबाह होती आजीवीका में सीधा सबंध हैं, असल में यह एक तथ्यात्मक हकीकत है। राजनीतिक सीमाओं की बाध्यता के कारण कृषि पर डब्ल्यूटीओ की संधि पूर्णतया खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण के प्रतिकूल है और इस हकीकत पर सभी चुप हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के राजदूतों का यह कहना सही है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार महत्पूर्ण है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि कृषि व्यापार के नियम पवित्र हैं । इन्हें सुधारने की जरूरत है क्योंकि तभी दुनिया के किसान और ग्रामीण अबादी का भला हो सकता है। मगर क्या यह जरूरी बदलाव लाना मुमकिन है जबकि पहले से ही सब कुछ सेट है ? हाल ही में यूएन के राइट टू फूड के विशेष दूत माइकल फाखरी के कथन से यही ध्वनित होता है उन्होंने कहा कि "अगर पहले से ही टेबल सेट हो और सीटिंग प्लान पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, मैन्यू भी सीमित हो, ऊपर से असली बातचीत वास्तव में एक दूसरी टेबल पर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं?"

आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास और पोषण, जैव विविधता, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय समावेशन या आजीविका पर दुनिया द्वारा बार–बार निर्धारित किए गए लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं हुए हैं । इसके साथ पिछले संयुक्त राष्ट्र खाद्य शिखर सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं हो सके । एक तरफ जहां कई पीढ़ियों को किए गए वादे अभी भी पूरे नही हुए हैं वहीं दूसरी तरफ सरकारें लगातार बदल रही हैं और खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं । लेकिन इसके बावजूद हम सब सामूहिक तौर से एक मानव जाति के रूप में अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलने में असमर्थ रहे हैं। बदलाव के इरादे और प्रक्रियाओं के बारे में संदेह बहुत अधिक हैं। यह एक दुख की बात है कि खाद्य उत्पादकों और नागरिक समाज के कुछ वर्ग संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड सिस्टम्स समिट 2021 के साथ जुड़ने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि इससे मौजूदा दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी।

हम इस भूल भूलैया में जितना ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे हमारा यह विश्वास उतना ही मजबूत होता जाएगा कि मौजूदा प्रणाली की नींव समझे जाने वाले डब्ल्यूटीओ के नियमों का स्वरूप पहले से ही तैयार था वह अमीर देशों द्वारा इसमें बाद में शामिल होने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर देशों पर थोपा गया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विश्व के दक्षिण छोर से भी समान प्रतिनिधित्व की जरूरत है। अगर माइकल फाखरी में भाषा कहा जाय तो टेबल अन्य तरीकों से भी सेट किया जाता है। विकासशील देशों में बड़ी कंसल्टिंग फर्म, बड़े व्यवसाय के साथ अनुसंधान संस्थान है उनके संपर्क बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ हैं और विदेशी अनुदान ले रहे हैं । इनका प्रभाव स्थानीय खाद्य नीतियों पर किसानों की तुलना में कहीं अधिक रहता है। गरीबी को परिभाषित करने वाले दुनिया में जो जीडीपी जैसे मापदण्ड हैं वह दुनिया में फैली असमनताओं की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं । जीडीपी को प्रगति के संकेतक के रूप में उपयोग करना एक धोखा है जो असमानताओं के बारे में कड़वी सच्चाई को छिपा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन प्रस्ताव सदस्य देशों पर बाध्यता नहीं है

वह इसे स्वेच्छा से अपना सकते हैं। इस परिस्थिति में हम आखिर किस प्रकार से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सारे देश अल्प अवधि वाली घरेलू रुचियों को अनदेखा कर विश्व कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य प्रणालियों के उन प्रस्तावों के पीछे जो वैज्ञानिक पहलू हैं, उसे समझ कर उनका हिस्सा बन सके जो मौजूदा परिस्थितियों को बदल सकते हैं ? मुझे लगता है कि अधिकतर सरकारों को इसका ज्ञान भी है उनकी इच्छा भी है लेकिन घरेलू स्तर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और घरेलू स्तर पर नीतियों में बदलाव की झिझक इसकी वजह है।

तो क्या हमें इन विषम परिस्थितियों के बीच हार मान लेनी चाहिए ? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें इन परिस्थितियों की पह. चान कर इन्हें सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है,न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी । तो आइए हम इस कार्य में इस तरह जुट जाएं, जैसे किसान अनेक बाधाओं के बावजूद फसल उगाता है। इस विश्वास के साथ कि अच्छी नीयत से किए गए कार्यों के परिणाम सुखद ही होते हैं।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

इंटरनेट से डब्ल्यूटीओ के कुछ जानकारी

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), विश्व व्यापार की निगरानी और उदार बनाने के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय संगठन । डब्ल्यूटीओ टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) का उत्तराधिकारी है, जिसे 1947 में इस उम्मीद में बनाया गया था कि जल्द ही इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) कहा जाएगा । हालांकि आई. टीओ को कभी मूर्त रूप नहीं दिया गया, लेकिन गैट अगले पांच दशकों में विश्व व्यापार को उदार बनाने में उल्लेखनीय रूप से सफल साबित हुआ। 1980 के दशक के अंत तक व्यापार की निगरानी और व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक मजबूत बहुपक्षीय संगठन के लिए कॉल किया गया । बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर (1986–94) के पूरा होने के बाद डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी, 1995 को परिचालन शुरू किया।

उद्देश्य और संचालन

डब्ल्यूटीओ के छह प्रमुख उद्देश्य हैं–(1) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करने और लागू करने के लिए, (2) व्यापार विवादों को हल करने के लिए बातचीत और निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करना, (3) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, (4) वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में

शामिल अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए, और (5) विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए । हालांकि गैट द्वारा साझा किया गया है, व्यवहार में इन लक्ष्यों को डब्ल्यूटीओ द्वारा अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, जबकि गैट ने लगभग विशेष रूप से वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया–हालांकि अधिकांश कृषि और वस्त्रों को बाहर रखा गया था–डब्ल्यूटीओ में सभी वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के साथ–साथ कुछ निवेश नीतियां शामिल हैं। इसके अलावा, अंतरिम गैट सचिवालय की जगह लेने वाले स्थायी डब्ल्यूटीओ सचिवालय ने व्यापार नीतियों की समीक्षा करने और विवादों को निपटाने के लिए तंत्र को मजबूत और औपचारिक रूप दिया है। क्योंकि गैट के तहत डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कई और उत्पादों को शामिल किया गया है और क्योंकि सदस्य देशों की संख्या और उनकी भागीदारी की सीमा में तेजी से वृद्धि हुई है–डब्ल्यूटीओ सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संयुक्त हिस्सा अब वैश्विक कुल के 90 प्रतिशत से अधिक है–बाजारों तक खुली पहुंच में काफी वृद्धि हुई है ।

गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों में सन्निहित नियम कम से कम तीन उद्देश्यों को पूरा करते हैं । पहला, वे बड़े और शक्तिशाली देशों की भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं के खिलाफ छोटे और कमजोर देशों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। डब्ल्यूटीओ के सबसे पसंदीदा राष्ट्र और राष्ट्रीय उपचार लेखों में यह निर्धारित किया गया है कि डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य को अन्य सभी सदस्यों को समान बाजार पहुंच प्रदान करनी चाहिए और घरेलू और विदेशी दोनों आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए । दूसरा, नियमों में सदस्यों को केवल टैरिफ के माध्यम से व्यापार को सीमित करने और अपने कार्यक्रम में निर्दिष्ट से कम अनुकूल बाजार पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है (यानी, वे प्रतिबद्धताओं पर सहमत हुए जब उन्हें डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्रदान की गई थी या बाद में) । तीसरा, नियमों को विशेष एहसान की मांग घरेलू हित समूहों द्वारा पैरवी के प्रयासों का विरोध करने में सरकारों की मदद करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं । हालांकि नियमों के कुछ अपवाद किए गए हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के मुख्य समझौतों में उनकी उपस्थिति और प्रतिकृति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सबसे ज्यादा ज्यादतियों से बचा जा सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक निश्चितता और पूर्वानुमेयता लाकर यह सोचा गया कि डब्ल्यूटीओ आर्थिक कल्याण को बढ़ाएगा और राजनीतिक तनाव को कम करेगा ।

व्यापार विवादों का समाधान

गैट ने व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक अवसर प्रदान किया, एक ऐसी भूमिका जिसे डब्ल्यूटीओ के तहत काफी मजबूत किया गया था । सदस्य अन्य सदस्यों के खिलाफ एकतरफा

कार्रवाई न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बजाय उनसे डब्ल्यूटीओ की विवाद–निपटान प्रणाली के माध्यम से सहारा लेने और इसके नियमों और निष्कर्षों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है । गैट के तहत विवाद समाधान की प्रक्रियाओं को स्वचालित और बहुत सुव्यवस्थित किया गया है, और समय सारिणी को कड़ा कर दिया गया है ।

विवाद समाधान महानिदेशक की मध्यस्थता, या 'अच्छे कार्यालयों' के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श के साथ शुरू होता है । यदि यह विफल रहता है, तो विवाद सुनने के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाता है । पैनल टिप्पणी के लिए पार्टियों को एक निजी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसके बाद वह डब्ल्यूटीओ की पूर्ण सदस्यता के लिए जारी करने से पहले रिपोर्ट को संशोधित कर सकता है । आईएमएफ और विश्व बैंक के विपरीत, दोनों जिनमें से भारित मतदान का उपयोग करते हैं, डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट है । पहले के गैट सिस्टम की तरह, हालांकि, ज्यादातर फैसले आम सहमति से किए जाते हैं । जब तक एक या दोनों पक्ष अपील की सूचना नहीं दाखिल करते हैं या डब्ल्यूटीओ के सदस्य रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं, तब तक इसे 60 दिनों के बाद स्वत और कानूनी रूप से बाध्यकारी कर दिया जाता है । यह प्रक्रिया नौ महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए और यदि कोई अपील दर्ज की जाती है तो डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय 60 दिनों के भीतर कानूनी त्रुटि के किसी भी दावे पर सुनता है और नियम करता है । अपीलीय फैसलों को स्वचालित रूप से अपनाया जाता है जब तक कि ऐसा करने के खिलाफ सदस्यों के बीच आम सहमति मौजूद न हो ।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख और वैश्विक कृषि सब्सिडी में असमानताएँ

डॉ. बिस्वजीत धर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की पहली महिला महानिदेशक डॉ. नगोजी ओकोंजो इवेला हैं और अफ्रीका से आती हैं। वह ऐसे समय में इस पद पर बैठी हैं जब ज्यादातर देशोंखासकर विकासशील जगत को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए विश्व बाजार से मदद की जरूरत है।

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के हठ के चलते महीनों के गतिरोध के बाद डॉ. नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नियुक्त की गईं। वह न सिर्फ डब्ल्यूटीओ की पहली महिला एग्जीक्यूटिव प्रमुख हैं,बल्कि इस पद पर बैठने वाली अफ्रीका महाद्वीप से आने वाली पहली शख्सीयत हैं। सवाल है कि क्या डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट

रह चुकीं डॉ. इवेला विश्व व्यापार प्रणाली में व्याप्त असमानता को खत्म करने के डब्ल्यूटीओ के मौलिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी?

डब्ल्यूटीओ के तहत जितने भी समझौते हुए हैं उनमें कृषि समझौता (एओए) सबसे अधिक असमान है। हालांकि अनेक विकासशील देशों में कामकाजी वर्ग का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, इसके बावजूद कृषि उत्पादों के विश्व बाजार में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों का बोलबाला है। इस विकृत और प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ही डब्ल्यूटीओ के दो सबसे मजबूत सदस्य अपने यहां कृषि व्यवसाय को भारी–भरकम सब्सिडी दे रहे हैं।

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते का मकसद प्रतिबंधों और विकृतियों को दूर कर विश्व कृषि व्यापार को अनुशासित और पूर्वानुमान योग्य बनाना था। इसका उद्देश्य ढांचागत सरप्लस में भी सुधार करना था ताकि विश्व कृषि बाजार में अनिश्चितता, असंतुलन और अस्थिरता कम की जा सके। खास तौर से कृषि सब्सिडी के मामले में इस समझौते से उम्मीद की जा रही थी कि यह सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष सब्सिडी को, तथा कृषि व्यापार को प्रभावित करने वाले सभी तौर–तरीकों को नियंत्रित करके एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाएगा। लेकिन 1992 में जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आपसी मतभेदों को भुलाकर ब्लेयर हाउस समझौते पर मुहर लगाई, तो उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनके अपने कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सब्सिडी जारी रहे।

डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में सब्सिडी को इस तरह निर्धारित किया गया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी, इससे जुड़े सख्त नियमों के दायरे से बाहर चली गई हैं। उदाहरण के लिए,अमेरिका में अतीत में दिया जाने वाला प्रत्यक्ष आय समर्थन, जो यूरोपियन यूनियन में इस समय सब्सिडी का बड़ा रूप है, और जो तथाकथित ग्रीन बॉक्स का हिस्सा माना जाता है,उस पर खर्च की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह, अमेरिका में कमजोर वर्ग को फूड स्टांप और ऐसी अन्य योजनाओं के जरिए दशकों से चल रही खाद्य वितरण व्यवस्था पर भी खर्च की कोई सीमा नहीं है। यूरोपियन यूनियन में जारी प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम जिसमें सप्लाई मैने. जमेंट के लिए मदद दी जाती है,वह भी कृषि समझौते में निर्धारित खर्च के दायरे से बाहर है।

इसकी तुलना में भारत में परिस्थिति विपरीत है। यहां सरकार कृषि क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से दो तरीके से सब्सिडी देती है। पहला इनपुट सब्सिडी और दूसरा प्रशासित मूल्य समर्थन जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कहा जाता है। यह दोनों सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में निर्धारित खर्च की सीमा में आती हैं। भारत किसी भी वर्ष कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10फीसदी से अधिक रकम की सब्सिडी नहीं दे सकता है। हालांकि कम आय वाले या संसाधनहीन उत्पादकों को दी

जाने वाली कृषि इनपुट सब्सिडी को इस खर्च की सीमा से बाहर रखने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ में बताया है कि यहां 99.43 फीसदी खेत कम आय वाले और संसाधनहीन किसान (10हेक्टेयर या उससे कम) जोतते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो सब्सिडी पर खर्च की सीमा का फिलहाल भारत पर असर नहीं होना चाहिए। लेकिन विश्व कृषि बाजार के बड़े खिलाड़ियों, जिनमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसानों को कम आय वाला और संसाधनहीन बताने पर सवाल करते हैं। भारत सरकार पर डब्ल्यूटीओ में कृषि पर होने वाली भावी वार्ताओं में इस परिभाषा को बदलने के लिए काफी दबाव रहेगा।

सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ के नियमों में सबसे बुरी बात प्रशासित मूल्य समर्थन यानी एमएसपी में सब्सिडी की गणना का तरीका है। हर साल विभिन्न फसलों के लिए जो एमएसपी की घोषणा की जाती है,उसकी तुलना 1986–88 के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ होती है, जिसे संदर्भ मूल्य माना जाता है। डब्ल्यूटीओ का कृषि समझौता 1995 में लागू होने के तत्काल बाद से ही भारत और अन्य विकासशील देश इस पर सवाल उठा रहे हैं। इन देशों का कहना है कि मौजूदा मूल्य की तुलनातीन दशक पुराने संदर्भ मूल्य से करना कतई उचित नहीं है। इन देशों का कहना है कि प्रशासित मूल्य व्यवस्था का असर मापने का तरीका पूरी तरह गलत है।

शुरू में कई वर्षों तक भारत सरकार डब्ल्यूटीओ को फसलों का एमएसपी अमेरिकी डॉलर में रिपोर्ट करती थी। इसलिए इस गलत तरीके का भारत पर कोई असर नहीं होता था। डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में लगातार गिरावट से चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों का एमएसपी हाल के वर्षों तक बाहरी संदर्भ मूल्य से नीचे ही रहता था। लेकिन 2018–19 में गेहूं को छोड़कर सभी कमो. डिटी का एमएसपी बाहरी संदर्भ मूल्य से अधिक हो गया। हालांकि कृषि सब्सिडी पर खर्च की जाने वाली कुल रकम अभी तक निर्धारित 10 फीसदी की सीमा से कम ही है, लेकिन जल्दी ही यह है उस सीमा को पार कर सकती है।

कृषि समझौते में सब्सिडी के मामले में एक और बड़ा असंतुलन घरेलू खाद्य मदद योजनाओं के रूप में है। इसमें भारत जैसे विकासशील देशों के हितों के आकलन में दोहरा मानदंड अपनाया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में जारी घरेलू खाद्य मदद योजनाएं डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में सब्सिडी के प्रावधान से बाहर हैं। लेकिन भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उसके दायरे में आती है,जबकि पीडीएस देश में कमजोर वर्ग को सस्ता खाद्य मुहैया कराने का तरीका है।

भारत के मामले में यह फर्क इसलिए है क्योंकि अनाजों का सरकार के स्तर पर भंडारण करना कृषि समझौते के दायरे में आता है और भारत का पीडीएस सरकारी भंडारण व्यवस्था से ही चलता

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23
प्रकाशन की तिथि : 1 जुलाई, 2021
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, नई दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, जुलाई 2021

है। समझौते में कहा गया है कि अगर सरकार अनाज का भंडारण करती है तो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश प्रशासित मूल्य (एमएसपी) पर अनाज खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन अगर इस अनाज का बिक्री मूल्य,खरीद मूल्य से कम हुआ तो उस अंतर को सब्सिडी बिल में शुमार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को जो सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है,वह सब्सिडी की गणना में शामिल होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, किसी वर्ष दी जाने वाली कृषि सब्सिडी उस वर्ष के कृषि उत्पादन के मूल्य के 10फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खर्च के लिए 2021–22 में 2.42 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह कृषि उत्पादन के मूल्य के 10 फीसदी से अधिक हो जाएगा। यानी भारत को समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च में जबरन कटौती करनी पड़ेगी।

2015 में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश भारत को अस्थायी रूप से मोहलत देने पर सहमत हुए थे। तब तय हुआ था कि अस्थायी क्लॉज के तहत भारत पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खर्च घटाने का दबाव नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ को भारत के मामले में इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना था, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके,लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है।

इसमें संदेह नहीं कि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में सब्सिडी की व्यवस्था में असंतुलन समय के साथ बढ़ता गया है। विकासशील देश इसके विकृत प्रावधानों में बदलाव के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार विकसित देशों ने उस पर वीटो लगा दिया। इसलिए जब एक अफ्रीकी महिला डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक नियुक्त हुई,तब यह उम्मीद बढ़ गई कि यह संगठन विकासशील जगत की आवश्यकताओं को बेहतर समझेगा। लेकिन इवेला की शुरुआती प्रतिक्रियाएं इन उम्मीदों पर पानी फेरने वाली हैं। उनके एजेंडे में विकसित देशों का एजेंडा ही प्रमुख रूप से शामिल है। विकासशील देश डब्ल्यूटीओ के जिन नियमों,खासकर कृषि समझौते से जुड़े नियमों में सुधार की मांग वर्षों से कर रहे हैं,वह उनकी प्राथमिकता में नहीं दिखता है। ऐसे में डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों की चुनौतियां अब ज्यादा कठिन जान पड़ती हैं।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।